तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1631/2006/चित्तौडगढ** **सांवरीबाई बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री केके पुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः–12.01.2026

1– यह निगरानी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3– अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27–05–2002 के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अलावा अर्थात जो अराजकीय मंदिर पूजास्थल स्थित है उनकी उचित व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर नायब तहसीलदार, निरीक्षण्क देवस्थान विभाग, पंचायत समिति द्वारा मनोनित सदस्य की समिति बनायी गयी। उक्त समिति द्वारा क्या–क्या कार्य किये जायेंगे यह भी दिनांक 27–05–2002 के परिपत्र में बताये गये हैं। जिसके अनुसार ग्रामीण अंचलों में स्थित विभिन्न गांवों में धार्मिक स्थल की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण/नाजायज कब्जे और अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों की भूमि में खातेदारी दर्ज करने की घटना को प्रभावी ढंग से रोकना एवं उन्हें मुक्त कराना। इससे स्पष्ट है कि मंदिर की किसी भी भूमि के लिए उक्त समिति को नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। उक्त परिपत्र के अनुसार जिला कलेक्टर को केवल मात्र यह अधिकार दिया गया है कि एक तहसील में एक से अधिक समितियां भी हो सकती है। एक समिति 10–15 मंदिरों की देखभाल करेगी। यदि इससे अधिक मंदिर तहसील में अवस्थित है तो जिला कलेक्टर अपने स्तर से नायब तहसीलदार को मंदिरों के कार्य आवंटन करेगा। उक्त कार्य के अलावा जिला कलक्टर को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। फिर भी जिला कलक्टर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलाण्ट को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि से बेदखल कराने के सम्बंध में तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ को आदेश पारित किया है जो स्पष्ट रूप से अवैधानिक था। राज्य सरकार द्वारा सन् 1992 में मंदिर की भूमि से पूजारियों के नाम हटाये जाने के सम्बंध में जारी परिपत्र के तहत खडमदार/खातेदार व्यक्तियों के नाम भी हटा दिये गये है एवं केवल मात्र मंदिर के नाम पर ही भूमि दर्ज कर दी गयी है। जबकि उक्त परिपत्र के आधार पर केवल मात्र पुजारी के नाम ही हटाये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त परिपत्र के आधार पर दर्ज मंदिर के नाम के आधार पर विवादित भूमि को मंदिर के स्वामित्व एवं आधिपत्य की मानकर नायब तहसीलदार की अध्यक्षता वाली समिति को कब्जा सुपुर्द करने का आदेश पारित किया है जो अपने आप में अवैधानिक होकर विधि विरूद्ध आदेश है। जहां तक 27–05–2002 को जारी परिपत्र में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि अराजकीय मंदिर एवं पूजास्थल है उसकी उचित व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर नायब तहसीलदार की अध्यक्षता वाली समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा स्वयं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1631/2006/चित्तौडगढ** **सांवरीबाई बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर दिया गया है। उक्त परिपत्र में जिला कलेक्टर को कब्जा दिलाया जाने का कोई प्रावधान नहीं है जिससे स्पष्ट है कि यदि मंदिर की भूमि पर ऐसा कोई नाजायज कब्जा है तो मंदिर के हितार्थ उक्त समिति को ही कब्जा प्राप्त करने के सम्बंध में कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है। जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा गलत रूप से बिना समिति द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही किये ही कब्जेयाबी का आदेश पारित किया गया है जो स्पष्टतया अवैधानिक है। समिति यदि यह पाती है कि मंदिर विशेष की भूमि पर व्यक्ति विशेष का नाजायज कब्जा हो तो उसके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक रूप से कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ करती है इसलिए सक्षम अधिकारी के सम्मुख कब्जेयाबी के वाद पत्र की कार्यवाही एवं दौराने कार्यवाही रिसीवर नियुक्ति के सम्बंध में कार्यवाही किया जाना न्यायोचित था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अपने मनमाने ढंग से राज्य सरकार द्वाा जारी परिपत्र के विपरीत आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध प्रथम अपील निगराकार द्वारा वैधानिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी जिसे नहीं मानते हुए अपील अपीलाण्ट निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि के सम्बंध में मेवाड राज्य में केवल मूर्ति को लगान लेने का अधिकार प्राप्त था, जबकि उक्त भूमि अपीलाण्ट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड थी। जागीर अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अपीलाण्ट उक्त भूमि का स्वतः ही खातेदार हो जाता है। मूर्ति को केवल मात्र लगान लेने का अधिकार प्राप्त था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा लगान लिया जाने लगा एवं तत्पश्चात् मंदिर में उक्त लगान के बजाय एन्यूटी की रकम मंदिर के पुजारी को प्राप्त होने लगी। जिससे मंदिर केवल मात्र एन्यूटी की रकम ही लगान के बजाये प्राप्त करने के अधिकारी है। विवादित भूमि अपीलाण्ट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होते हुए भी गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज कर दी गयी। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा यही तथ्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय में भी अंकित किया गया है उसके उपरांत भी उनके द्वारा अपीलाण्ट/निगराकार को सुनवाई हेतु किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2006 एवं न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2005 निरस्त फरमाये जावें।

4– इसके विपरीत विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार के कथनों का विरोध करते हुए अभिकथन किया कि प्रश्नगत आराजी मंदिर के नाम दर्ज रिकार्ड है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से राज्य सरकार के निर्देशानुसार मंदिरों की भूमि की सुरक्षा व उचित प्रबंधन हेतु नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित समिति को कब्जा दिलाने का आदेश जिला कलक्टर चित्तौडगढ ने पारित किया था जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी थी। जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2005 के विरूद्ध निगराकार द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष धारा 225 के अन्तर्गत अपील पेश की गयी थी जो चलने योग्य नहीं थी, क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष यह बताने में असमर्थ रहे थे कि जिला कलक्टर चित्तौडगढ के समक्ष कौन सा प्रकरण विचाराधीन था जिसके अन्तर्गत उक्त आदेश पारित किया गया था जिससे व्यथित होकर उनके द्वारा न्यायालय राजस्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1631/2006/चित्तौडगढ** **सांवरीबाई बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष अपील पेशकी गयी थी। जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2005 विधिसम्मत था जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इसके अलावा उक्त आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष पोषणीय नहीं थी। उपर्युक्त आधारों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ ने विधिसम्मत रूप से निगराकार द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जावे।

5– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा पत्रावली पर की गयी बहस पर मनन किया । जिला कलक्टर चित्तौडगढ ने अपने आदेश दिनांक 25–04–2005 के द्वारा ग्राम बान्सी (बडीसादडी) में स्थित श्री करणी माता जी स्थान देह की खातेदारी में स्थित आराजी कुल किता 37 रकबा 99 बीघा भूमि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी को राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के पत्र क्रमांक प.6 (17) अनु–3/2002 जयपुर दिनांक 27–05–2002 राजस्थान के राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अलावा अर्थात जो अराजकीय मंदिर/पूजा स्थल स्थित है उनकी उचित व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। जिसमें नायब तहसीलदार अध्यक्ष, निरीक्षक देवस्थान विभाग, सदस्य एवं पंचायत समिति द्वारा मनोनीत एक सदस्य नियुक्त किये गये हैं। उक्त आराजी को गठित समिति को दिये जाने के आदेश पारित किये गये थे तथा परिसम्पत्तियों को भौतिक रूप से कब्जा अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों को हटाकर समिति के अध्यक्ष नायब तहसीलदार बडीसादडी को मौके पर दिलाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार बडीसादडी को निर्देशित किया गया था। जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2005 से व्यथित होकर निगराकार ने अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष पुनरावेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ ने अपने निर्णय दिनांक 17–02–2006 के द्वारा उक्त पुनरावेदन को अधिनियम 1955 धारा 225 की परिधि में आना नहीं मानते हुए पुनरावेदक द्वारा अपने स्वामित्व के निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होना बताते हुए पुनरावेदन अस्वीकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2006 से व्यथित होकर निगराकार ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। हमने जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2005 का अवलोकन किया। जिला कलक्टर चित्तौडगढ ने राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के पत्र क्रमांक प.6(17) अनु–3/2002 जयपुर दिनांक 27–05–2002 की पालना में राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अलावा जो अराजकीय मंदिर/पूजा स्थल स्थित हैं उनकी उचित व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर समिति का गठन करने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश के विरूद्ध निगराकार ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष पुनरावेदन /अपील पेश की थी जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ ने अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत मेन्टेनेबल नहीं मानते हुए पुनरावेदक द्वारा अपने स्वामित्व के निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होना बताते हुए पुनरावेदन को अस्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–02–2006 से सहमत है एवं उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझतें हैं।

6– उपरोक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1631/2006/चित्तौडगढ** **सांवरीबाई बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2006 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड अविलम्ब लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	